न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—209/2022 दायर दिनांक:—16.08.2022

जीसीएमएस नं. 2022/519

1. जलसिंह पुत्र खिलाडी उम्र 55 साल
2. करण पुत्र करन
3. शिवचरण पुत्र करन
4. भूपेन्द पुत्र पप्पू नाबालिग जरिये माता जनतो
5. दामोदर पुत्र जगन्नाथ
6. मंगीलाल | पिसरान रामजीलाल
7. नारायण
8. प्रेमसिंह
9. लीला पत्नि रामजीलाल
10. रूकमणी पत्नि खिलाडी उर्फ रामखिलाडी

जाति जाटव निवासी हिण्डौन तहसील हिण्डोन जिला करौली

———सायलान—10

बनाम

रामदेई पुत्री अर्जुन उम्र 55 साल जाति जाटव निवासी बजनिया का पुरा तहसील हिण्डोन जिला करौली राज0

——गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —1.श्री अशोक नीमनका सायलान 1 ता 10
2.श्री एस एल चौधरी वकील गैरसायल

निर्णय

दिनांक 25-6-[illegible]

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा नम्बर 4192 रकबा 42 ऐयर, 4193 रकबा 93 ऐयर कुल किता 2 रकबा 1.35 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में सायलान 8/45 हिस्से के एंव हिस्से के एवं आराजी ख0 न0 284 रक[illegible]र, खसरा नम्बर 285 रकबा 51 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.[illegible]डौन में सायलान 5/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। जिससे अन्य कि[illegible]की का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 13:08:23 IST
Reason: SelfAttested

आराजी ख0 न0 4192, 4193 गैरसायल रामदेई द्वारा अपने हिस्से मृतक पिता अर्जुन से बिरासत में प्राप्त 1/10 सम्पूर्ण हिस्से को सायल जलसिंह को बेचार कर मौके पर कब्जा सम्हला दिया। जिस पर वर्तमान में सायलान बतौर माजिक काबिज एवं दखीलैडा मृतक अर्जुन के वारिसान रामपति, सरूपी, भागमल एवं स्वयं गैरसायल रामदेई में से वर्तमान में गैरसायल ही जिंदा है। शेष का देवयोग से स्वर्गवास हो चूका है। और उनके तरके पर गैरसायल ही काबिज

एवं दाखिल रही है। इसलिये मृतक अर्जुन से बिरासत में प्राप्त सर्म्पूण 1/10 हिस्से की विक्रय करने बाबत पूर्ण रूपेण समर्थ रही है।

बाका दिनांक 25.07.2022 को सायलान अपने हिस्से की आराजी सार–संभाल कर रहा था कि गैरसायल मौके पर आई एवं कहने लगी, कि मैं अपने हिस्से का बेचान दूसरे लोगो को कर रही हू इसलिये तुम मेरे हिस्से को खाली कर दो। सायलान ने गैरसायल को समझाने का प्रयास किया एवं अन्य दावे के प्रतिवादीगण से भी आराजी का बंटवारा कराने का निवेदन किया, तो गैरसायल एवं अन्य दावे के प्रतिवादीगण ने बंटवारा कराने से साफ इंकार कर दिया। सायलान ने गैरसायल सहित अन्य दावे के प्रतिवादीगण को काफी समझाने का भरसक प्रयास किया, मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। और सायलान के हिस्से पर जबरन कब्जा करने एवं उसे खूर्द–बुर्द करने पर आमदा है। इसलिये दावा व संबंधित प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायल को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला मुकदमा पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायल आराजीयात 4192 रकबा 42 ऐयर, 4193 रकबा 93 ऐयर वाके करबा हिण्डौन एवं खसरा न0 284 रकबा 62 ऐयर, 285 रकबा 51 ऐयर स्थित ग्राम चमरपुरा तहसील हिण्डोन से सायलान को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। आराजीयात किसी दीगर व्यक्ति को रहन, व्यय नहीं करे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल की ओर से श्री एस एल चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया एवं जबाव पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण में सायलान वकील द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया जिस पर उभय पक्ष वकील द्वारा सीधे ही बहस करने का निवेदन किया जिसमें सायल वकील द्वारा अपनी बहस कथन में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 स्वीकार करने का निवेदन किया जबकि गैरसायल वकील द्वारा अपने बहस कथन में प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी में अंकित तथ्यों को नकारते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 को खारिज करने का निवेदन किया उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकील की बहस सूनी गयी प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 न्यायोचित प्रतीत नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 06.05.2024 द्वारा खारिज किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष वकीलों की बहस सुनी गयी सायल वकील ने अपनी बहस कथन में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करने का निवेदन किया एवं गैरसायल ने अपने बहस कथन में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज करने का निवेदन किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 13:08:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष वकीलों की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2071–74 खसरा न0 4192, 4193 कुल रकबा 1.35 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रकरण सायलान वकील द्वारा बेचान करने संबंधी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जो सायलान के पक्ष में साबित हो सके। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेस

केस एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। इसलिए प्रकरण में सायल को दिनांक 16.08.2022 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 4192, 4193, 284, 285 है0 वाके ग्राम चमरपुरा तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

आदेश आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 13:08:23 IST
Reason: SelfAttested